

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई 2014—आषाढ़ 24, शक 1936

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2014

क्र. एफ-2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति, [समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक 1)] की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 02 जून 2014 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :-

अनुसूची—एक

(1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अनुसूची—दो

निःशक्तजनों के लिए चिन्हांकन

विभाग का नाम—(1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

द्वितीय श्रेणी	वैज्ञानिक	35	35	02	01	-	-	01	कार्य की प्रकृति को देखते हुए दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
----------------	-----------	----	----	----	----	---	---	----	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
तृतीय श्रेणी	1. तकनीकी सहायक	25	25	01	01	-	-	02	प्रयोगशाला में कार्य करना पड़ता है अतः कार्य की प्रकृति को देखते हुए दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
	2. सहायक ग्रेड-3	26	26	01	-	-	01	-	कार्य की प्रकृति को देखते हुए दृष्टि बाधित एवं अस्थि बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	38	38	02	-	02	01	02	प्रयोगशाला में कार्य करना पड़ता है अतः कार्य की प्रकृति को देखते हुए अस्थि बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र कुमार बाथम, सचिव.